न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्याः 34 / 2020 प्रा0पत्र — दिनांक 28.09.2020

:: संशोधित आदेश ::

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 व्य.प्र.सं. के प्रस्तुत कर प्रकरण सं. 285/2017 प्रार्थना पत्र अनवान 1–ताराशंकर पिता लाभशंकर जोशी ब्राह्मण निवासी लादूवास वगै0 बनाम ग्राम पंचायत लादूवास जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत लादूवास में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 में हुये लोप का सुधार कर संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर मूल प्र0सं0 285/2017 प्रा0पत्र न्यायालय उपखण्ड माण्डल से तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 के संबंध में बहस करनी चाही गई जिस पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यानुसार आ.नं.136 में से जितनी रास्ते के रूप में भूमि दर्ज होगी उसका प्रतिकर विपक्षी को दिलाये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में आ0नं0 136 में से रास्ते की भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने संबंधी विवरण दर्ज नहीं होने से निर्णय की पालना नहीं हो सकी। इस हेतु निर्णय दिनांक 15.06.2017 में सुधार कर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु पालनार्थ लिखा जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में राजीनामा के अनुसार निर्णय किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल प्रा0पत्र 285/2017 में पारित निर्णय दि0 15.06.2017 में राजीनामा अनुसार आ.नं.136 में जहां ग्रेवल सड़क बनी हुई है के रास्ते की भूमि (3.5 साढे तीन गट्ठा चौड़ाई एवं 50 गट्ठा लम्बाई) के क्षेत्रफल रकबा 0.09 बीघा भूमि का प्रतिकर कृषि भूमि की डीएलसी दर के दो गुणा से विपक्षी को अदा करने तथा रास्ते की भूमि रकबा 0.09 बीघा का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करेड़ा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो। तथा यह प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र प्र0सं0 285/2017 के साथ संलग्न हो।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा

उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा